रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1989/भाद्र 10, 1911
No. 463] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1989/BHADRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1989

सं. 174/89-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा.का.नि. 801(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	140/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 मई 1983	उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "परन्तु इस पैरा के अधीन निकासियों के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उत्पादशुल्क योग्य किसी ऐसे माल की निकासियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा जहां विनिर्माता विनिर्दिष्ट माल पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम (जो रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) चिपकाता है जो इस अधिसूचना के अधीन छूट दिए जाने का पात्र नहीं है" ।

(1)	(2)	(3)
2.	175/86-केन्द्रीय उत्पादशुल्क तारीख 1 मार्च 1986	उक्त अधिसूचना के,— (1) पैरा 3 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :— "परन्तु इस पैरा के अधीन निकासियों के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उत्पादशुल्क योग्य किसी ऐसे माल की निकासियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा जहां विनिर्माता विनिर्दिष्ट माल पर किसी अन्य ऐसे किसी व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम (जो रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) चिपकाता है जो इस अधिसूचना के अधीन छूट दिए जाने का पात्र नहीं है"। (2) पैरा 4 में,— (क) परन्तुक के खंड (ख) में "या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/88-केन्द्रीय उत्पादशुल्क तारीख 1 मार्च 1988 से उपाबद्ध सारणी के क्रमसंख्यांक 39 के अनुसार छूट" शब्दों का लोप किया जाएगा । (ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :— "परन्तु यह और कि पहले परन्तुक के खंड (ख) की कोई बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहां कोई ऐसा विनिर्माता जो किसी कारखाने में विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण कर रहा है और जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसने वित्त वर्ष 1986-87 के दौरान इस अधिसूचना के अधीन छूट का लाभ उठाया है और वित्त वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान सभी उत्पादशुल्क योग्य माल की निकासियों का कुल मूल्य एक सौ पचास लाख रु. से नहीं अधिक" और (3) पैरा 6 का लोप किया जाएगा ।
3.	75/87-केन्द्रीय उत्पादशुल्क तारीख 1 मार्च 1987	उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— 'परन्तु इस पैरा के अधीन निकासियों के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उत्पादशुल्क योग्य किसी ऐसे माल की निकासियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा जहां विनिर्माता विनिर्दिष्ट माल पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम (जो रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) चिपकाता है जो इस अधिसूचना के अधीन छूट दिए जाने का पात्र नहीं है" ।

[फा.सं. 354/47/89-टी आर यू]

आर. के. महाजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1989

NO. 174/89—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 801(E):—In exercise of th epowers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. & date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	140/83—Central Excises, dated 5th May, 1983.	In the said notification, to paragraph 4, the following proviso shall be added, namely :— "Provided that for the purposes of computing the aggregate value of clearances under this paragraph, the clearance of any excisable goods where a manufacturer affixes the specified goods with a brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligible for the grant of exemption under this notification, shall not be taken into account".

(1)	(2)	(3)
175/86—Central Excises, dated the 1st March, 1986.		In the said notification,— (1) to paragraph 3, the following proviso shall be added, namely :— "Provided that for the purposes of computing the aggregate value of clearances under this paragraph, the clearances of any excisable goods where a manufacturer affixes the specified goods with brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligible for the grant of exemption under this notification, shall not be taken into account": (ii) in paragraph 4,— (a) In the proviso, in clause (b), the words "or the exemption in terms of S. No. 39 of the table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/88-Central Excises, dated the 1st March, 1988" shall be omitted: (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :— "Provided further that nothing contained in clause (b) of the first proviso shall apply in a case where a manufacturer who is manufacturing specified goods in a factory and is registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) with the Directorate General of Technical Development and has availed of the exemption under this notification during the financial year 1986-87 and the aggregate value of clearances of all excisable goods during ex-financial years 1987-88 and 1988-89 did not exceed rupees one hundred and fifty lakhs", and (iii) paragraph 6 shall be omitted.
3. 75/87—Central Excises, dated 1st March, 1987		In the said notification in pagraph 2, the following proviso shall be added, namely :— "Provided that for the purposes of computing the aggregate value of clearances under this paragraph, the clearances of any excisable goods where a manufacturer affixes the specified goods with a brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligble for the grant of exemption under this notification, shall not be taken into account".

[F. No. 354/47/89-TRU]

R.K. MAHAJAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989